न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2019

कुलवीरकौर पत्नी सतिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 8 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: आदेश ::–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक :– 07.01.2020

प्रार्थीया कुलवीर कौर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति सतिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 एल एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक न0 8 एल एल पटवार हलका 5 एल एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर का खाता सं0 49/52 का मु0न0 10 में 1.581 हैक्टर रकबा नहरी व खाता सं0 48/51 का मु0न0 10 का 1.265 हैक्टर, मु0न0 19 का 1.240 हैक्टर, मु0न0 20 का 2.986 हैक्टर नहरी मय खाला कुल 7.072 हैक्टर रकबा नहरी मय खाला है। जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम सतिन्द्र सिंह अंकित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में प्रार्थीया के पति का नाम सतविन्द्र सिंह अंकित है। जबकि प्रार्थीया के पति का सही नाम सतिन्द्र सिंह है। राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में लिपिकिय गलती के कारण से प्रार्थीया के पति का नाम सतिन्द्र सिंह की जगह सतविन्द्र सिंह अंकित हो गया है जिसको प्रार्थीया सही करवना चाहती है। प्रार्थीया के पति का देहान्त दिनांक 03.04.2030 को हो चूका है तथा प्रार्थीया के पति के देहान्त के बाद उक्त रकबा प्रार्थीया व प्रार्थीया के पुत्र व पुत्री के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चूका है। जिसमें भी प्रार्थीया के पति का नाम सतविन्द्र सिंह अंकित हैं। प्रार्थीया उक्त रकबा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 का खाता सं0 59/5 का मु0न0 10 का 0.253 है0, खाता सं0 76/48 का मु0न0 10 का 2. 846 है0, मु0न0 19 का 1.240 है0, सु0न0 20 का 2.986 हैक. कुल

7.072 हैक्. रकबा जिसमें से 1.265 हैक्. रकबा का बेचान प्रार्थीया द्वारा गोरा सिंह को किया जा चूका है शेष रकबा 5.807 है0 की प्रार्थीया व प्रार्थीया का पुत्र गुरजोत सिंह व पुत्री शरणदीप कौर मालिक व काबिज है। प्रार्थीया उक्त रकबा में कलवीर कौर पत्नी सतविन्द्र सिंह, गुरजोत सिंह पुत्र सतविन्द्र सिंह, शरणदीप कौर पुत्री सतविन्द्र सिंह की जगह कुलवीर कौर पत्नी सतिन्द्र सिंह, गुरजोत सिंह पुत्र सतिन्द्र सिंह, शरणदीप कौर पुत्री सतिन्द्र सिंह नाम दुरूस्त करवाना चाहती है जो कि नियमानुसार दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया कुलवीरकौर पत्नी सतिन्द्रसिंह, गुरजोतसिंह पुत्र सतिन्द्रसिंह, शरणदीपकौर पुत्री सतिन्द्रसिंह नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीया ने अपने आधार कार्ड की चित्रप्रति, राशनकार्ड की चित्रप्रति, पहचानपत्र एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक की पास बुक की चित्रप्रति प्रस्तुत की है। इस प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पटवारी हल्का 5 एलएल की रिपोर्ट के अनुसार गांव 8 एलएल जमाबन्दी सम्वत 2062—2065 खाता संख्या 48 व 49 में सतविन्द्रसिंह वल्द प्यारासिंह जाति जटसिख के नाम वर्णित भूमि खातेदारी दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत 2066—2069 खाता संख्या 76 पर सतविन्द्रसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख खातेदार रहन मु.नं. 10/1.581 है। बैंक ऑफ इण्डिया शाखा साहूवाला दर्ज हुआ है। इसके उपरान्त ईन्तकाल नं. 449 दिनांक 5.8.2010 विरास्तन दर्ज हुआ जिसमें कुलवीरकौर पत्नी सतविन्द्रसिंह, गुरजोतसिंह पुत्र सतविन्द्रसिंह शरणदीपकौर पत्री सतविन्द्रसिंह बहिब सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर दर्ज हुआ। ई.नं. 601 द्वारा भूमि रहनमक्त हुई तथा ई.नं. 602 कुलवीरकौर ने 1.265 है0 गोरासिंह पुत्र हरबन्ससिंह जाति जटसिख सा. 28 आरबी तहसील रायसिंहनगर हाल आबाद 8 एलएल को बेचान किया तथा शेष भूमि बदस्तूर खातेदार। ई.नं. 696 दिनांक 16.3.98 द्वारा कुलवीरकौर पत्नी सतविन्द्रसिंह ने 1.092 हैक्टर रकबा बैंक ऑफ इण्डिया शाखा साहूवाला के रहन किया है। सम्बन्धित बैंक तथा सहखातेदारों की नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल प्रा०पत्र, जमाबन्दी की चित्रप्रतियां तथा संलग्न दस्तावेज प्रार्थीया के पति/पिता सतविन्द्रसिंह के स्थान पर सतिन्द्रसिंह की दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रेषित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रकबा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 का खाता सं0 59/5 का मु0न0 10 का 0.253 है0, खाता सं0 76/48 का मु0न0 10 का 2.846 है0, मु0न0 19 का 1.240 है0, मु0न0 20 का 2.986 हैक्. कुल 7.072 हैक्. रकबा में से शेष रकबा 5.807 हैक्टर जो प्रार्थीया व

प्रार्थीया का पुत्र गुरजोत सिंह व पुत्री शरणदीप कौर मालिक व काबिज है, में कुलवीर कौर पत्नी सतविन्द्र सिंह, गुरजोत सिंह पुत्र सतविन्द्र सिंह, शरणदीप कौर पुत्री सतविन्द्र सिंह के स्थान पर दुरूस्ती कर कुलवीर कौर पत्नी सतिन्द्र सिंह, गुरजोत सिंह पुत्र सतिन्द्र सिंह, शरणदीप कौर पुत्री सतिन्द्र सिंह दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 07.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.02.07 17:15:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: